

No. 24/291/2014-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section

North Block, New Delhi-1
Dated the 29 August, 2014

To

Shri Mukesh Sharma,
S/o Shri Amarnath, PRT,
Nigam Pratibha Balika Vidhyalaya,
Santnagar(Burari), Delhi-110084.

Subject:- Information sought under RTI Act, 2005- regarding.

Please refer to your application dated 2.8.2014, received by Public Section on 22.8.2014 through RTI Section of this Ministry vide their O.M. NO. A-43020/01/2014-RTI dated 20.08.2014, on the above noted subject.


2. As regards your queries, it is informed that the use/display/hoisting of the National Flag is regulated by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002, which is available on this Ministry's website www.mha.nic.in. The insult to the Indian National Flag is a punishable offence under Section 2 of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and it contains an illustrative list of insults to or disrespect of the National Flag which is a punishable offence under this Act, with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. No instructions regarding sale of the Indian National Flags exist neither in the Flag Code of India, 2002 nor in the Prevention of Insults to the National Honour Act, 1971, except para 3.4 of Flag Code of India, 2002 inter-alia states that –

On all occasions for official display, only the Flag conforming to specifications laid down by the Bureau of Indian Standards and bearing their standard mark shall be used.

3. From time-to-time this Ministry has been sending advisory to all States/UTs to avoid the use of plastic national flags as they are non biodegradable. An Advertisement has also been published in leading newspapers for strict compliance of provisions contained in the abovesaid Act and Code on the eve of Independence Day 2014 i.e. 14th August, 2014.

4. Appeal, if any, may be made under Section 19 (1) of the Right to Information Act to the Appellate Authority within 30 days. The particulars of Appellate Authority are as under:-
Shri Satpal Chouhan, Joint Secretary (Admn.) & Appellate Authority, Room No. 194, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001.

Hindi version will follow.


(Shyamala Mohan)
Director & CPIO

Copy to:-

1. SO(IT), MHA, North Block, New Delhi, alongwith copy of the RTI application of the applicant, for uploading of RTI application received and its reply under the concerned CPIO with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act-Information under 4(1)(b) of the Act.

2. RTI Section, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. their O.M. cited above.

CR-335789/2014 (A) / 14
22/08

सं. ए-43020/01/2014 आर. टी. आर.

भारत सरकार

बृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 20/8/2014

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री.....
मुकेश शर्मा
का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री..... के दिनांक: 2/10/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक: 11/8/2014 को प्राप्त) को..... प्रभाग को अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 19/8/2014 की रसीद सं. 30359 के तहत जमा कर दिया है (संबन्ध) नहीं किया है क्योंकि वह दो पी एन श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

सु. शर्मा

(एड. सचिव)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (एड. सी.)
बृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री.....
मुकेश शर्मा
PRT, निगम प्रतिभा बालिका विद्यालय
सतनगर (बुराड़ी) - दिल्ली - 110084

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अनिश्चित सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

22/8/14

MSR

22/8
2014

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

दिनांक/9-08-2014
Dated.....20/08/2014

सं. /No. 30359

श्री/श्रीमती/सुश्री

Received From Shri/Smt./Km.....

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ

with Letter No./Reference No.....

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या

Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No.....

के रूप में रुपये की नकद धनराशि

the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

के दिनांक

20

Dated.....

20

रुपये /Rs. 10/-

आद्यक्षर /Initials

S

पदनाम / Designation

जनसूचना अधिकारी

केन्द्रीय गृहमंत्री कार्यालय
भारत सरकार।

SP 32
3284/14

35 (A)

विषय - RTI Act 2005 के तहत सूचना प्राप्त है।

अधीन
अधीन

35 (E)

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं मुकेश शर्मा 8/ श्री अमरनाथ, PRT

निगम प्रतिभा बालिका विद्यालय, संतनगर (बुराड़ी) दिल्ली- 84 आपके
कार्यालय से निम्न सूचना RTI Act 2005 के तहत प्राप्त
का बंदबुक है:-

50 (RT) 05
19/8

1. क्या राष्ट्रीय दवज (तिरंगा) का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य
हेतु शायदा आर्थिक लाभ के लिए (जैसा कि प्लास्टिक का दवज
बनाकर बेचने वाली कंपनियां कर रही हैं) किया जा सकता है?
अगर हाँ तो क्या यह राष्ट्रीय दवज का अपमान नहीं है?
अगर नहीं तो उपरोक्त प्रश्न को बंद क्यों नहीं किया जा रहा
है?
2. क्या राष्ट्रीय दवज (तिरंगा) को बेचने का काम कोई भी दुकानदार
(रैहड़ी-पटरी दुकानदार, पुस्तक विक्रेता) कर सकता है?
3. क्या दुकानदारों (जो राष्ट्रीय दवज बेचने का कार्य कर रहे हैं) को
राष्ट्रीय दवज किलो की तरह रखने विशेषतया लेटाकर रखने
को छूट है? क्या रैहड़ी-पटरी वालों को तिरंगे को जमान
पर फैलाकर रखने की छूट दी गई है? क्या ऐसा करने से
दवज या देश का सम्मान जोने-अनजाने नहीं होता? अगर होता
है तो इस सम्बंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश उपलब्ध
करवाएँ।
4. सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु अधिकृत/लाइसेंसीकृत की गई दुकानों
की सूची दें।

दिनांक - 2 अगस्त, 2014

स्थान - दिल्ली

संलग्न - 2 10 का फोरवर्ड डॉकूमेंट।

सूचनाकांक्षी

मुकेश शर्मा 8/ श्री अमरनाथ

PRT, निगम प्रतिभा बालिका
विद्यालय, संतनगर (बुराड़ी)-दिल्ली

पिन - 110084